

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/78

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	29/3/2024	15/2/2024	29/4/24 अपेठ	18/3/2024

अनवान

श्री फूलचन्द शंभूजी माली श्री रमेश शंभूजी माली
निवासी बिजौलिया कला टाह बिजौलिया निवासी बिजौलिया कला टाह बिजौलिया
को ③

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री रामकूल धारुड
श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

किरम मुकदमा - पुनरावलोकन वनाम ओश
 111 - 108 नम्बर 27 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/2 / 2024	<p>प्रार्थना पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/03/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी विजौलियां</p>	
18/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान को दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 21/4/24 वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी</p>	
28/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान को दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 23/4/24 वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी</p>	
23/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान को दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 29/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला-भीलवाडा</p>	
29/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान को दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 29/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला-भीलवाडा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 15/02/24

प्रकरण संख्या :- 27/24

अनवान

फुलचन्द पुत्र मोहन जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)प्रार्थी

बनाम

01. रमेश पुत्र हीरा जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कालु पुत्र हीरा जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. जगदीश पुत्र हीरा जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 29/4/24

प्रार्थना पत्र फुलचन्द पुत्र मोहन जाति माली निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 491 पर अंकित आराजी संख्या 1145 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1153 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1158 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1159 रकबा 0.1538 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 0.5342 हैक्टेयर सामलाती भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को पत्थरगढी बाबत् कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 491 पर अंकित आराजी संख्या 1145 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1153 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1158 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1159 रकबा 0.1538 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 0.5342 हैक्टेयर सामलाती भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 27/24-

तारीख 15/02/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 27 / 2024 पत्थरगढी बाबत।

फुलचन्द पुत्र मोहन जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) प्रार्थी

बनाम

01. रमेश पुत्र हीरा जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कालु पुत्र हीरा जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. जगदीश पुत्र हीरा जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम
बिजौलियाँ कलां पटवार हल्का बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में
स्थित खाता संख्या 491 पर अंकित आराजी संख्या 1145 रकबा 0.0162 हैक्टेयर,
आराजी संख्या 1153 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1158 रकबा 0.1376
हैक्टेयर, आराजी संख्या 1159 रकबा 0.1538 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 0.5342
हैक्टेयर सामलाती भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी
के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा
समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख
निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार
वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित
करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ पंचसि भीलवाड़ा